माननीय सभापति महोदय,

राज्य के प्राथमिक विद्यालय/ मध्य विद्यालय/ प्राथमिक विद्यालय,उर्दू/ मदरसा विद्यालय/ बुनियादी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को मध्याह्न भोजन के तहत भोजन बनाकर खिलाने वाले लगभग 2,40,000 रसाईया सहायक नियुक्त है। जिनको प्रतिमाह 1200 रूपया 11 महीने तक का ही भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि रसोईया सहायक सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक मध्याह्न भोजन बनाने, खिलाने एवं बर्तन सफाई करने में समय व्यतीत करते हैं।

श्रम नियोजन विभाग के कानून के तहत डेली वेजेज न्यूनतम मजदूरी से बहुत ही कम वेतन रसोईया सहायको को सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है जा श्रम कानून का घोर उल्लंघन हैं।

अतएव मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में नियुक्त रसोईया सहायकों का वेतन श्रम कानून के तहत देने एवं उनकी सेवा स्थायी करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह./- राजेश राम
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-97/2018 – 557 / वि.प.। पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 09.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

महाधिवक्ता बिहार द्वारा अपने विधिक परामर्श दिनांक- 09.06.2008 में AIR 1974 SC 1389 नौ जजों की खण्डपीठ के न्याय निर्णय को अंकित करते बिहार विश्वविद्यालय में अधिनियम 1976 की धारा 57 (ए) (1) को गैर कानूनी एवं शून्य (निरस्त) किया जा चुका है।

उधर 2009 मे विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा 57 (ए) (1) के संशोधन को ध्वनी मत से पारित करने के पश्चात राजभवन सचिवालय एवं शिक्षा विभाग के बीच के उत्तर के अभाव में संचिका लम्बित है। हालांकि अंकित संचिका की मांग 2009 से अब तक राजभवन सचिवालय द्वारा की जाती रही है, परन्तु फलाफल शून्य है।

अत: मैं वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57 (ए) (1) के संशोधन के बिन्दु पर राजभवन का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- तनवीर अख्तर
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-96/2018 – 556 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

संगीत विषय की एस.टी.ई.टी. की परीक्षा 2011 में ली गई और दिनांक- 06.09.2012 को परीक्षा फल प्रकाशित की गई जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभी प्रकार की कोटि के उम्मीदवार जो प्रशिक्षित है, के उम्र सीमा में 10 वर्षो की छूट होगी। इसी आलोक में पटना जिलान्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं + 2 विद्यालय में संगीत के शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष- 2014 -15 में दिनांक- 06.02.2015 से उम्मीदवारों से आमंत्रित आवेदन के आलोक में जिला परिषद् पटना एवं पटना नगर निगम, पटना तथा नगर परिषद्, खगौल और दानापुर में औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की गई। जिला परिषद्, पटना तथा नगर परिषद्, खगौल और दानापुर में प्रकाशित मेधा सूची के आलोक में मूल प्रमाण पत्रों के मिलाने के पश्चात् नियोजन-पत्र निर्गत करने की बात कहने पर नगर परिषद्,खगौल के अन्तर्गत + 2 कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में मई, 2016 को संगीत शिक्षक के पद पर अंजली कुमारी की नियुक्तिकर ली गई, परंतु + 2 घनश्याम उच्च विद्यालय, खगौल में संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु मेधा सूची में प्रथम आने वाले उम्मीदवार श्याम किशोर प्रसाद का नियोजन पत्र रोक दी गई है। चूंकि श्री प्रसाद आरक्षित वर्ग अतिपिछड़ा वर्ग से आते हैं। इस पर जन प्रतिनिध एवं श्री श्याम किशोर प्रसाद ने विभाग को आवेदन पत्र देकर निवेदन किया है। फिर भी विभाग ने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के हित में +2 घनश्याम उच्च विद्यालय , खगौल मे संगीत शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची में प्रथम आनेवाले एवं राज्यीय एवं अन्तर्राजीय पुरस्कार से पुरस्कृत उम्मीदवार श्याम किशोर प्रसाद का नियोजन पत्र शीघ्र निर्गत करने तथा इसमें विलम्ब करने वाले पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- चन्देश्वर प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-94/2018 - 554 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 09.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सुपौल जिला के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के भपटियाही थानान्तर्गत साहपुर पृथ्वीपट्टी ग्राम में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय, पृथ्वीपट्टी में शिक्षा मित्र के आधार पर अनुसूचित जाति के कोटा पर पंचायत शिक्षक के पद पर दिनांक 23.12.2005 को श्री लक्ष्मण राम, पिता स्व. सुकन राम, ग्राम-साहपुर पृथ्वीपट्टी निवासी की नियुक्ति की गई । इसके उपरांत श्री राम ने दिनांक- 07.03.2006 को उक्त विद्यालय में योगदान दिया। लेकिन उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राम के साथ भेद-भाव बरतने लगें और उन्हें उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति नहीं बनाने देने लगे । इसकी सूचना संबंधित उच्चधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों को दी गई। श्री राम के संबंध में ग्राम-पंचायत-साहपुर पृथ्वीपट्टी के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य एवं सरपंच ने दिनांक- 10.02.2013 को उक्त प्रधानाध्यापक के द्वारा भेद-भाव बरतने की पुष्टि की है। फिर भी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के घाल-मेल से श्री राम को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त विद्यालयों में पंचायत शिक्षक के पद पर शिक्षा मित्र के आधार पर दिनांक- 23.12.2005 को नियुक्त किये गये श्री लक्ष्मण राम, पिता-स्व. सुकन राम को उक्त विद्यालय के उपस्थिति-पंजी पर उनकी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए शिक्षण-कार्य करने देने एवं उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह./- राम चन्द्र भारती,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-93/2018 – 553 (1)/ वि.प.। पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 09.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

एम.एस. डी.पी. योजना अन्तर्गत नव निर्मित 100 शैय्या वाले बालिका छात्रावास का संचालन करने हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा ने प्राचार्य, आर.एन.एम. बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय को पत्रांक-814, दिनांक- 11 दिसम्बर, 2017 भेजा था। परन्तु अभी तक उक्त छात्रावास का संचालन शुरू नहीं हुआ है।

अत: उक्त छात्रावास के संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-95/2018 – 555 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान विषय का प्रैक्टिकल कराने के लिए अब तक कोई सार्थक पहल नहीं हो सका है। माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए विभाग कई तरह की योजना चला रहा है परन्तु लैब तकनीशियनों की बहाली का मामला लटका हुआ है। नियम और शर्तें तैयार नहीं होने से न इनका पद सृजित हो रहा है और न ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो पा रही है। छात्र-छात्राएं बिना प्रयोगशाला में प्रवेश किए ही अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर रहे है, जिससे विज्ञान विषय बोझिल होने लगा है। विज्ञान की बारीकियों को हाई स्कूल में आसानी से समझने और इसके प्रति रोचकता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल बेहद महत्वपूर्ण है।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में प्रैक्टिलकी महत्ता को बढ़ावा देने हेतु स्कूलों में तकनीकी से लैश प्रयोगशाला व्यवस्थित करने,नियम बनाकर लैब तकनीशियनों की नियुक्ति करने एवं प्रैक्टिकल की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- प्रो. नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-92/2018 – 552 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 09.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्   ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक एवं डिग्री स्तरीय अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत/ सेवानिवृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन हेतु दिये जाने वाले अनुदान विगत कई वर्षो से लंबित है। हाल ही में माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थाओं के लिए सिर्फ वर्ष 2013 तक का ही अनुदान विमुक्त किया गया है । वहीं डिग्री महाविद्यालयों के छ: वर्षो का अनुदान अभी तक लंबित ही है। तीनों कोटि के विद्यालयों/ महाविद्यालयों का बकाया सारा अनुदान 31 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से विमुक्त किया जाना था लेकिन विभागीय संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के कारण आर्थिक परेशानियों से प्रभावित ये शिक्षक एवं कर्मी आन्दोलित है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा विश्वविद्यालयों की संबद्ध ईकाईयों में नामांकित छात्र-छात्राओं का अनुपात लगभग 70 प्रतिशत है। जबकि सर कारी विद्यालयों/ महाविद्यालयों में यह अनुपात मात्र 30 प्रतिशत है। जरूरत है कि सरकार अविलंब आगे बढ़कर इन संस्थाओं/ महाविद्यालयों के अधिग्रहण की नीति बनाए अथवा अनुदान समाप्त कर घाटानुदान का प्रावधान करे।

अत: मैं सरकार से उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

1. ह./- प्रो. संजय कुमार सिह, स.वि.प.
2. ह./- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प.
3. ह./- संजीव कुमार सिंह, स.वि.प.
4. ह./- देवेश चन्द्र ठाकुर, स.वि.प.
5. ह./- सूरजनन्दन प्रसाद, स.वि.प.
6. ह./- संजीव श्याम सिंह, स.वि.प.
7. ह./- मदन मोहन झा, स.वि.प
8. ह./- केदार नाथ पाण्डेय, स.वि.प. एवं
9. ह./- नीरज कुमार, स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-91/2018 – 551 (1) / वि.प.।   पटना, दिनांक- 09.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ शिक्षा विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-16.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 09.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्